रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 817] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 9, 2001/कार्तिक 18, 1923
No. 817] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 9, 2001/KARTIKA 18, 1923

वित्त, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2001

का. आ. 1110(अ).— केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि इटरनेशनल एल्युमिनियम प्रोडक्टस लिमिटेड (आई. ए. पी. एल), जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित एक सरकारी कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नालको भवन, पी/1, नायापल्ली, भुवनेश्वर-751013 में है, का नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) जो कपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित एक सरकारी कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नालको भवन, पी /1, नायापल्ली, भुवनेश्वर-751013 मे है, के साथ दुहरे प्रयासों और व्ययो को खत्म करके कम लागत पर दक्षता के साथ कृत्यों का निर्वहन करने में सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकल इकाई बनाने के प्रयोजन हेतु एकल कंपनी मे समामेलन किया जाना चाहिए ;

और इंटरनेशनल एल्युमिनियम प्रोडक्टस लिमिटेड ने 25 मार्च, 2000 को हुए असाधारण साधारण अधिवेशन मे कंपनी के शेयर धारको द्वारा पारित संकल्प द्वारा नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) के साथ अपने समामेलन की स्कीम का अनुमोदन कर दिया है ;

और नेशनल एम्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, उडीसा ने इंटरनेशनल एल्युमिनियम प्रोडक्टस लिमिटेड उडीसा के साथ समामेलन को 5 मई, 2000 को हुए असाधारण साधारण अधिवेशन में पूर्ववर्ती कपनी के शेयरधारको द्वारा पारित संकल्प द्वारा अनुमोदित कर दिया है ;

और समामेलन के लिए प्रस्तावित आदेश की प्रति प्रारूप रूप मे पूर्वोक्त कंपनियो अर्थात् इंटरनेशनल एल्युमिनियम प्रोडक्टस लिमिटेड और नेशनल एल्युमिनियम प्रोडक्टस लिमिटेड (नालको) को आक्षेप और सुझाव आमत्रित करते हुए दो समाचार पत्रों में उसके प्रकाशन के लिए भेजी गई थी ;

और इटरनेशनल एल्युमिनियम प्रोडक्टस लिमिटेड का नेशनल एल्युमिनियम कपनी लिमिटेड (नालको) के साथ समामेलन की स्कीम, दोनों कंपनियो द्वारा क्रमशः दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् "दि इकानामिक टाइम्स" (अंग्रेजी), तारीख 15.12 2000 "संबाद" (जनभाषा) तारीख 14.12 2000 मे प्रकाशित की गई थी ,

और सघ से प्राप्त आक्षेपो पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया था ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 396 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त दोनों कंपनियों का समामेलन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम** - इस आदेश का संक्षिप्त नाम इंटरनेशनल एल्युमिनियम प्रोडक्टस लिमिटेड और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 2001 है ।

2. **परिभाषाएं** - इस आदेश में, जब तक संदर्भ मे अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसकों यह आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है ।
(ख) "विघटित कंपनी" से इंटरनेशनल एल्युमिनियम प्रोडक्टस लिमिटेड अभिप्रेत है ।
(ग) "परिलक्षित कंपनी" से नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड अभिप्रेत है ।

3. **(क) शेयर धारण का पैटर्न** - 31 मार्च, 1999 को दोनों कंपनियों के शेयर धारण का पैटर्न निम्न रुप में है,

(i) विघटित कंपनी

क्रम स	शेयर धारकों के नाम	शेयरों की संख्या	रकम (रुपए में)
1.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	8,99,99,930	89,99,99,300
2.	अन्य (पांच) धारक प्रत्येक 10 शेयर और एक धारक 20 शेयर जो नालको के नामनिर्देशिती हैं	70	700
	योग	**9,00,00,000**	**90,00,00,000**

(ii) परिलक्षित कंपनी

क्र0सं0	शेयर धारकों का नाम	शेयरों की संख्या	रकम (रुपए में)
1.	भारत का राष्ट्रपति और नामनिर्देशिती	56,14,99,635	5,61,49,96,350
2	राष्ट्रीयकृत बैंकें और संस्थाएं (बीमा कंपनियो सहित)	4,27,40,866	42,74,08,660
3	म्यूचल फन्डस	1,26,96,734	12,69,67,340
4	भारतीय कंपनियां	45,09,578	4,50,95,780
5.	विदेशी कंपनियां, संस्थाएं और व्यष्टि	1,05,90,911	10,59,09,110
6.	कर्मचारी	2,72,415	27,24,150
7.	अन्य	1,19,99,489	11,99,94,890
	योग	**64,43,09,628**	**6,44,30,96,280**

(ख) नालकों और उसके नामनिर्देशितियों के नाम में धारित विघटित कंपनी के सभी शेयर निरस्त हो जाएंगे ।

4. **कंपनियों का समामेलन**-- (1) नियत दिन से ही विघटित कंपनी का समस्त कार्यभार और उपक्रम जहां है/ जैसा है की शर्त पर, जिसके अंतर्गत सभी संपत्तियां, चाहे जंगम हो या स्थावर और अन्य आस्तियां है, चाहे जिस प्रकृति की हो, जिसके अंतर्गत मशीनरी और सभी स्थिर आस्तियां पट्टे, अभिधृति, अधिकार शेयरो में या अन्यथा विनिधान, व्यापार स्टाक, कर्मशाला औजार, अभिवहन में माल, सभी किस्म के धनों का अग्रिम, बही ऋण,

बकाया धन, वसूली योग्य दावे, करार औद्योगिक और अन्य अनुज्ञप्तियां और अनुज्ञा पत्र, आयात और अन्य अनुज्ञप्तियां, आशय के पन्ने और सभी अधिकारियों के पत्र तथ प्रत्येक प्रकार की शक्तियां सम्मिलित हैं किंतु विघटित कंपनियों की उक्त संपत्तियों को प्रभावित करने वाले सभी बंधक और प्रभार और आडमान, प्रतिभूतिया और सभी अधिकारों, जो भी हों, के अधीन रहते हुए बिना और कार्य तथा विलेख के तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार परिलक्षित कंपनी के अंतरित हो जाएगी और उसमें निहित हो जाएगी या अंतरित और उसमे निहित समझी जाएगी ।

स्पष्टीकरण -- "विघटित कंपनी के उपक्रम" के अंतर्गत विकास रिबेट आरक्षितियों, यदि कोई है, सभी अधिकार शक्तियों, प्राधिकार और विशेषाधिकार और सभी संपति जंगम या स्थावर हैं जिसके अंतर्गत नकद अतिशेष, आरक्षितियां, राजस्व अतिशेष उक्त विनिधान और संपत्तियों में या उनसे उद्भृत सभी अन्य हित, और अधिकार जो नियत दिन के ठीक पूर्व विघटित कंपनी के कब्जे में हो या उससे संबद्ध हों और तत्कालीन विघटित कंपनी से संबंधित सभी बहियां लेखे और उससे संबंधित दस्तावेजों और किसी भी किस्म के सभी ऋण, दायित्व, कर्तव्य और बाध्यताएं सम्मिलित हैं ।

(2) लेखा प्रयोजन के लिए समामेलन उक्त दोनों कंपनियों के 31 मार्च, 2000 को संपरीक्षित लेखा और तुलन पत्रों के प्रतिनिर्देश से प्रभावी होगा और उसके पश्चात् संव्यवहार एक ही खाते में पूलित किया जाएगा । विघटित कंपनी से किसी पश्चातवर्ती तारीख को उसके अंतिम खाते तैयार करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और परिलक्षी कंपनी विघटित कंपनी के 31 मार्च, 2000 के तुलनपत्र के अनुसार सभी आस्तियों और दायित्वों को ग्रहण करेगी और उसके पश्चात् के सभी संव्यवहारों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व स्वीकार करेगी ।

5. संपत्ति की कतिपय मदों का अंतरण— इस आदेश के प्रयोजन के लिए नियत दिन को विघटित कंपनी के सभी लाभ या हानियां या दोनों, यदि कोई हो, और विघटित कंपनी की राजस्व आरक्षितियों या कमियां या दोनों, यदि कोई हो की बाबत परिलक्षित कंपनी को अंतरित होते समय, यथास्थिति परिलक्षित कंपनी के क्रमशः लाभ या हानियां और राजस्व आरक्षितियों या कमियों के भाग होंगे ।

6. संविदाओं की व्यावृति, आदि-- इस आदेश मे अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी संविदाएं, विलेख, बंध पत्र, करार और अन्य लिखित चाहे वे किसी भी प्रकृति के हों, विघटित कंपनी एक पक्षकार है, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान या प्रभावी हैं, परिलक्षित कंपनी के विरुद्ध या उसके पक्ष मे पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभावी होंगे और उन्हें वैसे ही पूर्ण और प्रभावी रुप मे प्रवृत्त किया जा सकेगा मानों परिलक्षित कंपनी उसकी एक पक्षकार है ।

7. विधिक कार्यवाहियों की व्यावृति-- यदि नियत दिन को, विघटित कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए कोई वाद, अभियोजन, अपील या अन्य विधिक कार्यवाहियां चाहे किसी प्रवृत्ति की हों, लंबित है तो विघटित कंपनी के उपक्रम के परिलक्षित कंपनी को अंतरित हो जाने या इस आदेश मे किसी बात के कारण उपशमित नहीं होगी या रोकी नहीं जाएगी या किसी भी प्रकार से प्रतिकूल रुप मे प्रभावित नहीं होगी, किंतु अभियोजन,अपील या अन्य विधिक कार्यवाहियां उसी रीति से और उसी सीमा तक परिलक्षित कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखा जा सकेगा और अभियोजन प्रवृत्तित किया जा सकेगा जिस प्रकार यदि वह आदेश न किया गया होता तो विघटित कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रहता, अभियोजन किया जाता और प्रवर्तन किया जाता ।

8. कराधान की बाबत उपबंध-- नियत दिन से पूर्व विघटित कंपनी द्वारा किए गए कारोबार के लाभों और अभिलाभो (जिसके अंतर्गत संचित हानियों और अनामेलित अवक्षयण सम्मिलित है) की बाबत सभी कर परिलक्षित कंपनी द्वारा ऐसी रियायतों और राहतों के अधीन रहते हुए संदेय होंगे जो इस समामेलन के परिणामस्वरुप आर कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन अनुज्ञात किए जाएं ।

9. विघटित कंपनी के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की बाबत उपबंध -- विघटित कंपनियों मे नियत दिन के ठीक पूर्व नियोजित प्रत्येक पूर्णकालिक अधिकारी या अन्य कर्मचारी (इनमे विघटित कपनी के निदेशक सम्मिलित नहीं है) नियत दिन से ही परिलक्षित कंपनी का, यथास्थिति, अधिकारी या कर्मचारी हो जाएगा और उसमे अपना पद या अपनी सेवा उसी अवधि के लिए और उन्हीं निबंधनों और शर्तो पर और छुट्टी, छुट्टी किराया रियायत, कल्याणकारी स्कीम, चिकित्सीय फायदे स्कीम, बीमा, भविष्य निधि और अन्य निधियों, सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, उपदान और अन्य फायदों के बारे में वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारो के साथ धारण करेगा जिनके साथ वह विघटित कंपनी में पदधारण करता, यदि यह आदेश न किया जाता और वह

तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक कि परिलक्षित कपनी में उसका नियोजन सम्यक रुप से समाप्त नहीं कर दिया जाता या पारस्परिक सहमति द्वारा उसके परिश्रमिक और नियोजन की शर्तो मे सम्यक् रुप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है । उन अधिकारियो से भिन्न सभी कर्मचारियों की ज्येष्ठता जो नियत दिन से ठीक पूर्व विघटित कंपनी में विद्यमान थी, इस सिद्धांत को लागू करते हुए अवधारित की जाएगी कि अधीक्षण स्तर तक के कर्मचारियों के बीच ज्येष्ठता, पदोन्नति के अवसर और अंतरण के अवसर परिलक्षी कंपनी में समामेलन के पश्चात् भी इन आदेशो के जारी किए जाने के समय रौल पर कर्मचारियों की बाबत संरक्षित रहेंगे । उसके पश्चात् भर्ती किए गए कर्मचारी परिलक्षी कंपनी की अधिकारिता में अंतरित कर दिए जाएगे । पर्यवेक्षक कैडर से प्रबंधकीय कैडर मे प्रोन्नति परिलक्षी कंपनी मे ज्येष्ठता के आधार पर होगी । प्रबंधकीय कैडर में ज्येष्ठता परिलक्षी कपनी के भीतर आमेलन के पश्चात् पुन.निर्धारित की जाएंगी ।

10. **निदेशकों की स्थिति**-- विघटित कंपनी का प्रत्येक निदेशक जो नियत दिन के ठीक पूर्व उसी रूप में पद धारण किए हुए है नियत दिन को विघटित कंपनी का निदेशक नहीं रहेगा ।

11. **भविष्य निधि, अधिवर्षिता, कल्याण और अन्य निधियां**-- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधो के अनुसरण के अधीन रहते हुए, विघटित कंपनी द्वारा उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित भविष्य निधिया अधिवर्षिता निधि या कल्याण निधि और किसी अन्य निधि के न्यासी, नियत दिन को न्यास की निधियो का अंतरण परिलक्षित कंपनी को करेंगे, जो ठीक नियत दिन से उपरोक्त धन से एक या अधिक न्यासों का गठन करेंगे, जिनके उद्देश्य, निबंधन और शर्तें वही होंगी जो विद्यमान न्यास की है या विद्यमान निधियो का परिलक्षित कंपनी के तत्स्थानी एक या अधिक न्यासों का अंतरण किया जा सकेगा और विघटित कपनी तथा परिलक्षित कंपनी द्वारा स्थापित न्यास के हिताधिकारियों के अधिकारो और हितो को किसी भी रूप में कम या प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा ।

12. **भविष्य निधि की सदस्यता**--विघटित कंपनी के सभी अधिकारी और कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1962 (1962 का 19) के अधीन उस कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य बने रहेंगे जिनके वे सदस्य थे और परिलक्षित कंपनी, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन के नियत दिन से इन अधिकारियों और कर्मचारियों की बाबत उक्त कर्मचारी भविष्य निधि मे नियोजक का अभिदाय उसी दर से करेगी और करती रहेगी जिस दर से विघटित कंपनी करती रही है ।

13. **इंटरनेशनल एल्युमिनियम प्रोडक्स लिमिटेड का विघटन** -- इस आदेश के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियत दिन से ही इंटरनेशनल एल्युमिनियम प्रोडक्स लिमिटेड का विघटन हो जाएगा और कोई व्यक्ति, विघटित कपनी के विरुद्ध या उसके किसी निदेशक या किसी अधिकारी के विरुद्ध, उसके ऐसे निदेशक या अधिकारी की हैसियत में कोई दावा नहीं करेगा मांग प्रख्यापित नहीं करेगा या कार्यवाही प्रारंभ नहीं करेगा सिवाय उनके जो इस आदेश के उपबंधो को प्रवर्तित करने के लिए आवश्यक हों ।

14. **कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा आदेश का रजिस्ट्रीकरण**-- केन्द्रीय सरकार, इस आदेश के राजपत्र मे अधिसूचित किए जाने के पश्चात् , यथाशीघ्र कंपनी रजिस्ट्रार, उडीसा, कटक को इस आदेश की प्रति भेजेगा जिसकी प्राप्ति पर कंपनी रजिस्ट्रार, उडीसा, कटक परिलक्षित कंपनी द्वारा विहित फीस को संदेय किए जाने पर आदेश को रजिस्टर करेगा और इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर उसके रजिस्ट्रीकरण को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा । उसके पश्चात् कंपनी रजिस्ट्रार, उडीसा, कटक विघटित कंपनी के संबंध में उसके पास रजिस्ट्रीकृत, अभिलिखित या फाइल किए गए सभी दस्तावेज नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसके साथ अंतरक कंपनी का समामेलन किया गया है, की फाइल में रखेगा और उन्हें समेकित करेगा और इस प्रकार समेकित दस्तावेजो को अपनी फाइल में रखेगा ।

15. **परिलक्षित कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद**-- नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के संगम ज्ञापन और अनुच्छेद, जिस रूप मे वे नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान हैं, नियत दिन से ही परिलक्षित कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेन हो जाएंगे ।

[फा. सं. 24/2/2000/सीएल-III]

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

ORDER

New Delhi, the 7th November, 2001

S.O. 1110(E).— Whereas the Central Government is satisfied that it is essential in the public interest that the International Aluminum Products Limited (IAPL), a Government Company, incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) having its registered office at NALCO Bhawan, P/1, Nayapalli, Bhubaneswar-751013 should be amalgamated with the National Aluminum Company Limited (NALCO), a Government Company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) having its registered office at NALCO Bhawan, P/1, Nayapalli, Bhubaneswar-751013 into a single company for the purpose to form a single entity to ensure coordination in discharge of functions with efficiency at reduced cost by eliminating duplicacy of efforts and expenses.

AND WHEREAS, the International Aluminium Products Limited has approved its amalgamation with the National Aluminium Company Limited by resolution passed by the shareholders of the company in the Extra Ordinary General Meeting held on the 25th March, 2000;

AND WHEREAS, the National Aluminium Company Limited, Orissa has approved the amalgamation with it of the International Aluminium Products Limited, Orissa by resolution passed by the shareholders of the former company in the Extraordinary General Meeting held on the 5th May, 2000;

AND WHEREAS, copy of the proposed Order for amalgamation was sent in draft to the aforesaid companies namely the International Aluminium Products Limited and the National Aluminium Company Limited for its publication in two newspapers inviting objections and suggestions;

AND WHEREAS, the scheme of amalgamation of the International Aluminium Products Limited with the National Aluminium Company Limited was published by both the companies in the daily newspapers namely "The Economic Times" (English) on 15.12.2000 and "The Sambad" (Vernacular Language) on 14.12.2000, respectively;

AND WHEREAS, the objections received from the unions were considered by the Central Government .

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 396 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following Order to provide for the amalgamation of the said two companies, namely:-

1. **Short title.**- This Order may be called the International Aluminium Products Limited and the National Aluminium Company Limited (Amalgamation) Order, 2001.

2. **Definitions.** - In this Order, unless the context otherwise requires.-

(a) "appointed day" means the date on which this Order is published in the Official Gazette;

(b) "dissolved company" means the International Aluminium Products Limited;

(c) "resulting company" means the National Aluminium Company Limited;

3 (a). **Share holding pattern.** - The shareholding pattern of the two companies as on the 31st March, 2000 is as under:-

(i) Dissolved company :

Serial number	Name of the shareholders	Number of shares	Amount (Rs.)
1.	National Aluminium Company Limited.	8,99,99,930	89,99,99,300
2.	Other (five) holding 10 shares each and one holding 20 shares who are nominees of NALCO.	70	700
Total		9,00,00,000	90,00,00,000

→Contd...P.03.

(ii) Resulting company :

Serial number	Name of the shareholders	Number of shares	Amount (Rs.)
1.	President of India and nominees	56,14,99,635	5,61,49,96,350
2.	Nationalised Banks and Institutions (including insurance companies)	4,27,40,866	42,74,08,660
3.	Mutual Funds	1,26,96,734	12,69,67,340
4.	Indian companies	45,09,578	4,50,95,780
5.	Foreign companies, institutions and individuals	1,05,90,911	10,59,09,110
6.	Employees	2,72,415	27,24,150
7.	Others	1,19,99,489	11,99,94,890
	Total	**64,43,09,628**	**6,44,30,96,280**

(b) All the shares of the dissolved company held in the name of NALCO and its nominees shall be cancelled.

4. **Amalgamation of companies.** - (1) On and from the appointed day, the entire business and undertaking of the dissolved company in as is where is condition, including all the properties, movable or immovable and other assets of whatsoever nature, including machinery and all fixed assets, leases, tenancy rights, investments in shares or otherwise, stock-in-trade, workshop tools, goods-in-transit, advances of monies of all kinds, book-debts, outstanding monies, recoverable claims, agreements, industrial and other licences and permits, imports and other licences, letters of intent and all rights and powers of every description, but subject to all mortgages and charges and hypothecation, guarantees, and all rights whatsoever, affecting the said properties of dissolved company shall without further act or deed be transferred to and vest in or deemed to be transferred to and vest in the resulting company in accordance with the law for the time being in force.

Explanation.- The "undertaking of the dissolved company" shall include development rebate reserve, if any, all rights, powers, authorities and privileges and all property, movable or immovable, including cash balances, reserves, revenue balances, investments, all other interests and rights in or arising out of such property as may belong to, or be in the possession of, the dissolved company, immediately before the appointed day, and all books, accounts and documents relating thereto and also all debts, liabilities, duties and obligations of whatever kind then existing of the dissolved company.

(2) For accounting purposes, the amalgamation shall be effected with reference to the audited accounts and balance sheets as on the 31.03.2000 of the said two companies and the transactions thereafter shall be pooled into a common account. The dissolved company shall not be required to prepare its final accounts as on any later date and the resulting company shall take over all assets and liabilities according to the balance sheet of the dissolved company as on the 31st March, 2000 and shall accept full responsibility for all transactions of the dissolved company thereafter.

5. **Transfer of certain items of property.**- For the purpose of this Order, all the profits or losses, or both, if any, of the dissolved company as on the appointed day, and the revenue reserves or deficits, or both, if any, of the dissolved company when transferred to the resulting company, shall respectively form part of the profits or losses and the revenue reserves or deficits, as the case may be, of the resulting company.

6. **Saving of contracts, etc.**- Subject to the other provisions contained in this Order, all contracts, deeds, bonds, agreements and other instruments of whatever nature to which the dissolved company is a party, subsisting or having effect immediately before the appointed day, shall have full force and effect, against or in favour of the resulting company and may be enforced as fully and effectually, as if, instead of the dissolved company, the resulting company had been a party thereto.

7. **Saving of legal proceedings.** - If on the appointed day, any suit, prosecution, appeal or other legal proceeding of whatever nature by or against the dissolved company be pending, the same shall not abate or be discontinued, or be in any way prejudicially affected by reasons of the transfer to the resulting company of the undertaking of the dissolved company or of anything contained in this Order, but the suit, prosecution, appeal or other legal proceeding may be continued, prosecuted and enforced by or against the resulting company in the same manner and to the same extent as it would have or may be continued, prosecuted and enforced by or against the dissolved company if this Order had not been made.

8. **Provisions with respect to taxation.** - All taxes in respect of the profits and gains (including accumulated losses and unabsorbed depreciation) of the business carried on by the dissolved company before the appointed day shall be payable by the resulting company subject to such concessions and reliefs as may be allowed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) as a result of this amalgamation.

9. **Provisions respecting officers and other employees of the dissolved company.**- Every whole-time officer or other employee (excluding the directors of the dissolved company) employed immediately before the appointed day, in the dissolved company, shall, as from the appointed day, become an officer or employee, as the case may be, of the resulting company and shall hold his office or service therein by the same tenure and upon the same terms and conditions and with the same obligations and with the same rights and privileges as to leave, leave fare concession, welfare scheme, medical benefits scheme, insurance, provident fund and other funds, retirement, voluntary retirement, gratuity and other benefits as he would have held under the dissolved company, if this Order and not been made, and shall continue to do so unless and until employment in the resulting company is duly terminated or until his remuneration and conditions of employment are duly altered by mutual consent. The seniority of all employees other than officers as it existed in the dissolved company immediately before the appointed date would be maintained, implying that the seniority, promotional opportunities and transfer among employees upto supervisory level shall remain protected even after amalgamation in the resulting company in respect of employees on roll at the time of issue of Orders. The employees recruited thereafter would be transferred within the jurisdiction of the resulting company. The promotions from supervisory cadre to managerial cadre will, however, be as per seniority within the resulting company. The seniority among the managerial cadre shall be recast within the resulting company on merger.

10. **Position of directors.** - Every Director of the dissolved company holding office as such immediately before the appointed day shall cease to be a director of the dissolved company on the appointed day.

11. **Provident, superannuation, welfare and other funds.** - Subject to the compliance with the provisions of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the trustees of the provident fund or superannuation fund or welfare fund and any other funds established by the dissolved company for the benefit of its officers and employees shall transfer funds of the trust as on the appointed day to the resulting company, who shall immediately from the appointed day constitute the above moneys into one or more trusts with the objects, terms and conditions similar to those of the existing trust or the said existing funds may be transferred to one or more corresponding trusts of the resulting company and the rights and interests of the beneficiaries of the trust established by the dissolved company and resulting company shall not in any way be diminished or prejudiced.

12. **Membership of provident fund.**- All officers and employees of the dissolved company shall continue to be members of the Employee's Provident Fund under the scheme of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) of which they are members and the resulting company shall with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette make and continue to make the employer's contributions to the said employees provident fund in respect of the said officers and employees at the same rates as were being made by the dissolved company.

13. **Dissolution of the International Aluminium Products Limited.**- Subject to the other provisions of this Order, as from the appointed day, the International Aluminium Products Limited shall be dissolved and no person shall make, assert or take any claims, demands or proceedings against the dissolved company or against a director or any officer thereof in his capacity as such director or officer, except in so far as may be necessary for enforcing the provisions of this Order.

14. **Registration of the Order by the Registrar of Companies.** - The Central Government shall, as soon as may be, after this Order is notified in the Official Gazette, send to the Registrar of Companies, Orissa, Cuttack, a copy of this Order, on receipt of

which the Registrar of Companies, Cuttack, shall register the Order on payment of the prescribed fees by the resulting company and certify under his hand the registration thereof within one month from the date of receipt of a copy of this Order. Thereafter, the Registrar of Companies, Orissa, Cuttack, shall place all documents registered, recorded or filed with him relating to the dissolved company on the file of the National Aluminium Company Limited with whom the transferor company has been amalgamated and consolidate these and shall keep such consolidated documents on his file.

15. **Memorandum and Articles of Association of the resulting company.** - The Memorandum and Articles of Association of the National Aluminium Company Limited as they stood immediately before the appointed day shall, as from the appointed day, be the Memorandum and Articles of Association of the resulting company.

[F. No. 24/2/2000/CL-III]
A. RAMASWAMY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.